

निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
राजस्थान, जयपुर

स्मरण पत्र

क्रमांक: एफ.20(6)()निमअ/लेखा/भौ.स./2016-17/

जयपुर,दिनांक:-

कार्यालय आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत सभी अधीनस्थ कार्यालयों के स्टोर का भौतिक सत्यापन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग II के नियम 12 के अनुसार किये जाने हेतु निम्नप्रकार आदेश दिये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए सभी अधिकारी जिन्हें कार्यालय के अंकित नामों के आगे कार्य आवंटित किया गया है वे 31 अगस्त, 2017 तक भौतिक सत्यापन कर कमी व बेसी की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करनी थी जो आज दिन तक अप्राप्त है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.01.2018 तक भौतिक सत्यापन की जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिसके स्टोर का भौतिक सत्यापन किया जाना है	अधिकारी जिसे भौतिक सत्यापन का कार्य आवंटित किया गया है
1.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, नागौर
2.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, भीलवाडा	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, टोंक
3.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, टोंक	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, अजमेर
4.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, नागौर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, भीलवाडा
5.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, भरतपुर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, करौली
6.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, धौलपुर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, अलवर
7.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, करौली	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, धौलपुर
8.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सवाई माधोपुर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, कोटा
9.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, हनुमानगढ
10.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, चूरु	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर
11.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, गंगानगर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, चुरु
12.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, हनुमानगढ	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, गंगानगर
13.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, कोटा	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बांरा
14.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बूंदी	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, झालावाड
15.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बांरा	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बून्दी
16.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, झालावाड	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, स. माधोपुर
17.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, दौसा
18.	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, अलवर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, भरतपुर

19	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सीकर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर
20	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, झुन्झुनू	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सीकर
21	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, दौसा	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, झुन्झुनू
22	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जोधपुर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बाडमेर
23	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जालौर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, पाली
24	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जैसलमेर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जोधपुर
25	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, पाली	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सिरोही
26	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बाडमेर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जैसलमेर
27	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, सिरोही	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जालौर
28	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, उदयपुर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, डूंगरपुर
29	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, प्रतापगढ़	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बांसवाडा
30	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, डूंगरपुर	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, प्रतापगढ़
31	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बांसवाडा	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, राजसमंद
32	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, चित्तौड़गढ़	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, उदयपुर
33	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, राजसमंद	सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, चित्तौड़गढ़

साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई सामान नकारा या अनुपयोगी हो गया है तो उसकी सूची भी निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करे।

लेखाधिकारी,
महिला अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.20(6)()निमअ/लेखा/भौ.स./2016-17/ 621-656 जयपुर, दिनांक: 8/11/18

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर
2. प्रभारी अधिकारी (स्टोर), महिला अधिकारिता, जयपुर
3. एसीपी (उपनिदेशक), महिला अधिकारिता, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर सूचित करे।
4. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, समस्त
5. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी,
महिला अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर